(39) (58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2488-III/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–05–2013 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 3/अ–12/2012–13

1–सविता बाई बेवा नैन सिंह
2–सल्लोबाई वेवा हल्कू
निवासीगण डिपो कृषक ग्राम पट्टी, मुंगावली
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–संतोष पुत्र जंगी
2–पातीराम पुत्र जंगी
3–शोभाराम पुत्र जंगी
4–म0प्र0शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री लखनसिंह धाकड़, अभिभाषक आवेदकगण
श्री एच0पी0कुशवाह, अभिभाषक अनावेदक कमांक 1 से 3 तक
श्री डी0के0शुक्ला, पेनल अभिभाषक शासन अनावेदक कमांक 4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/01/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील मुंगावली जिला अशोक नगर के प्रकरण क्रमांक 3/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–05–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सर्वे क्रमांक 31 रकबा 4.034 है0 (सर्वे क्रं0 31/1 ख रकबा 2.717 हैक्टेयर) जो ग्राम पट्टी मुंगावली में स्थित है । जिसके भूमि स्वामी आवेदिकागण के सगे दादा ससुर गुलझारी थे । स्व0 गुलझारी के दो पुत्र थे फूलसिंह एवं जंगी। उक्त भूमि का बंटवारा हो गया था, जिस पर दोनों पुत्र का 1/2, 1/2 भाग पर हिस्सा था । गुलझारी के दोनों पुत्र अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे है । अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय मुंगावली कि समक्ष एक आवेदन संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सीमांकन हेतु निवेदन किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–12/2012–13 पंजीबद्ध कर आलौच्य आदेश दिनांक 21.05.2013 पारित किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2013 से परिवेदित होकर आवेदिकागण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि आवेदिकागण मृतक की विधिक वारिस है जिन्हें मृतक की सम्पत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त है । किन्तु खानदानी सिजरा पर गौर किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को सीमांकन कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षकारों तथा मेड़िया कृषकों को विधिवत सुनवाई व सूचना का अवसर देना चाहिये था, किन्तु आवेदिकागणों को कोई विधिवत सूचना व सुनवाई का अवसर नही दिया गया । संहिता की धारा 129 में स्पष्ट प्रावधान है कि सीमांकन की कार्यवाही में सीमांकन की जाने वाली जमीन के पड़ौसी काश्तकारों को विधिवत सूचना आवश्यक है । यदि पक्षकार नहीं बनाया गया है तो वह पुनरीक्षण/अपील पेश कर सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन नियमों को अनदेखा कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है । आपत्तिकर्ता के कब्जे की भूमि पर विवाद करने के आशय से सीमांकन का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया और पटवारी ग्राम व राजस्व निरीक्षक के द्वारा मौके पर नपती की जाना बताया गया है जबकि मौके पर कभी भी कोई सीमांकन हेतु राजस्व अधिकारी/पटवारी उपस्थित नहीं हुये है और न ही मेड़िया कृषकों एवं आपत्तिकर्ता को सीमांकन के पूर्व कोई नोटिस/सूचना नहीं दी गई है ।

सीमांकन की सम्पूर्ण कार्यवाही अनावेदकगण गुपचुप चोरी छिपे अवैध तरीके से कराई गई है । मौके पर बिना सीमांकन किये बगैर सिर्फ कागजाती खानापूर्ति की गई है । तर्क में यह भी कहा गया है कि उक्त भूमि की कृषक होकर वर्तमान नक्शे में हॉ भूमि सर्वे क्रमांक 3 बना हुआ है और गलत रूप से बटांकन किया गया है उसी पर काबिज चली आ रही है और अपने पति के पिता स्व0 फूलसिंह के जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज होकर हमेशा से खेती करती चली आ रही है । जिस पर पूर्णतः हितबद्ध पक्षकार थी । उसे सीमांकन की कार्यवाही दूषित हो जाती है, क्योंकि अनावेदकगण द्वारा अनावेदिकागण को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है । पंचनामा रिर्पोट से भी आवेदिका का कब्जा होना स्पष्ट होता है और आवेदिकागण वास्तव में अपने पूर्वजों की सम्पत्ति पर काबिज होकन खेती करती चली आ रही है जिसकी वह मालिक है । आवेदिकागण दोनों विधवा, असहाय एवं अनपढ़ अनभिज्ञ महिलाये होकर पूर्वजों की वंशवेल अनुसार अपने सगे दादा ससुर गुलझारी पुत्र पनुआ के नाम से ग्राम पट्टी मुंगावली में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 31 रकबा 4.034 हैक्टेयर बंदोबस्त के समय न थी में से 1/2 भाग फूलसिंह पुत्र गुलझारी के बाद में उनके पुत्र नैनसिंह, हल्के पुत्रगण फूलसिंह के समय से निरन्तर वर्षों से अपने भाग पर अधिपत्य कर बिना दखल के बना रोकटोक तभी से आज दिनांक तक कृषि कार्य आवेदिकागण करती चली आ रही है । आवेदिकागण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आपत्ति के निराकरण तक सीमांकन के संबंधित नकले, पंचनामा, रसीद, फील्डबुक एवं आर0आई0 प्रतिवेदन जारी न किया जाये, किन्तु उक्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया । अंत में आवेदिकागण के अभिभाषक द्वारा तहसील न्यायालय मुंगावली द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21.05.2013 निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषकों द्वारा यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुंगावली, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर आवेदिकागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन के लिये मेड़िया कृषकों को कोई विधिवत् सूचना देकर नहीं बुलाया गया । कोई फील्ड बुक नहीं बनाई गई । यह स्पष्ट नहीं किया गया कि नप्ती की कार्यवाही किस प्रकार तथा किन स्थायी चिन्हों से प्रारंभ की गई । स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत् नहीं हुई अतः स्थिर नहीं रखी जा सकती । फलतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 7–5–2013 निरस्त किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर